निग -1315-PBR-राजस्व पुनरीक्षण /2016 ·
निग-1315-PBR-16

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर

कैम्प एट इन्दौर सम्भाग

**पुनरीक्षण याचिका प्रार्थी तर्फे धारा 50 म.प्र.भु राजस्व अधि. :–**

सलीम खाँ पिता मोहम्मद खाँ मुसलमान उम्र– 50 वर्ष,

धंधा–कृषि निवासी–बलसगांव, टप्पा करही, तहसील–महेश्वर प.निमाड़

———— प्रार्थी (याचिकाकर्ता)

विरूद्ध

मोहम्मद खाँ पिता नन्हे खाँ मुसलमान, उम्र– 80 वर्ष

धंधा–कृषि निवासी–बलसगांव, टप्पा करही, तहसील–महेश्वर प.निमाड़

(जिला - खरगोन (म.प्र.))

———— विपक्षी (उत्तरदाता)

**विषय :– राजस्व अभिलेख में नामान्तरण बाबद ।**

प्रार्थी याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

माननीय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मण्डलेश्वर राजस्व द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अपील/अ–6/2013–2014 (सलीम विरूद्ध सत्तार खाँ) में दिनांक 29/01/2016 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता (मुल अपीलार्थी) द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर आदेश पारित कर आवेदन निरस्त कर अपील पर आदेश पारित कर आवेदन निरस्त कर अपील को सुनवाई नहीं करने का दिया है। उस आदेश से असन्तुष्ट होकर याचिकाकर्ता (मुल अपीलार्थी) यह पुनरीक्षण याचिका अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता हैं ।

**प्रकरण के तथ्य**

याचिकाकर्ता यह विपक्षी का पुत्र है एवं मुस्लिम धर्मावलम्बी हैं। विपक्षी के स्वत्व अधिपत्य की एवं राजस्व अभिलेख में विपक्षी के स्वतंत्र नाम पर दर्ज कृषि भूमि ग्राम बलसगांव प.ह.नं. 22 तहसील महेश्वर प. निमाड़ में ख.नं. 314, 315/2, 316 कुल रकबा 0–839 हेक्टर की दर्ज है। विपक्षी ने दिनांक 22-12-2010 को प्रार्थी के पक्ष में जाति रिवाज अनुसार हीबानागा (दानपत्र) निष्पादित कर प्रार्थी को भूमि का अधिपत्य भी दे दिया तब से प्रार्थी ही उक्त भूमि के अधिपत्य में हैं।

अविरत – – – 2.

सलीम

अपील/ मु० नं०
R 1315-MR/16 रस्तोगी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के |
|---|---|---|
| 17.5.2016 | आवेदक की ओर से श्री के० आर० यादव अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण वापिस किया जाये। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।<br><br>अध्यक्ष | Pyadav<br><br>मूल दस्तावेज सहपत्रों के साथ प्राप्त<br>Pyadav<br>17/5/2016 |